

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पीपलू
रामप्यारी देवी मीणा बनाम तहसीलदार पीपलू
किस्म मुकदमा-प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट.

2025/199

प्रकरण संख्या 72 सन् 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
14.5.25	<p>पत्रावली रिपोर्ट होकर पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर तलबी समन प्रतिपक्षी जारी हो। पत्रावली दिनांक 19.05.2025 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i> उप खण्ड अधिकारी पीपलू (टॉक)</p>	
19.05.25	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता-वाणी/प्रार्थी उपस्थित/पी ओ सारत्र राजकार्य में व्यस्त/अवकाश पर/स्थान परिवर्तित होने के कारण पत्रावली का आवेदन अनुसार दिनांक 26.05.25 पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
26.05.25	<p>पत्रावली पेश हुई। उपपक्ष उप./पत्रावली वास्ते TDR रिपोर्ट दिनांक 30.05.25 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
30.05.25	<p>पत्रावली पेश हुई। उपपक्ष उप./पत्रावली वास्ते TDR रिपोर्ट दिनांक 02.06.25 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
06.06.25	<p>पत्रावली पेश हुई। उपपक्ष उप./तहसीलदार पीपलू से रिपोर्ट प्राप्त। उपपक्ष ने प्रस्तुत रिपोर्ट पर बहस का निवेदन किया। बहस उपपक्ष सुनी। पत्रावली का अनवगत व उपपक्ष की बहस पर मत निया जाकर प्रस्तुत प्रार्थना स्वीकार किया गया, जिससे पृथक से लिखवाया गया, जो शामिल किया है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो एवं नियमानुसार नम्बर से मस हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टॉक)